

न्यायालय—पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
(आप.प्रक.क. :- 1329/2011)  
(संस्थित दिनांक :- 22/11/2011)

म.प्र.राज्य,  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद  
 जिला—भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन ।

/// विरुद्ध ///

01. धर्मेन्द्र बरेठा पुत्र दुर्जन बरेठा उम्र 28 वर्ष  
 निवासी :- बड़ा बाजार गोहद, जिला—भिण्ड, म.प्र.
02. रफीक खॉ पुत्र मुन्ने खॉ उम्र 37 वर्ष  
 निवासी :- सदर बाजार गोहद, जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियुक्तगण ।

/// निर्णय ///

( आज दिनांक :- 10/01/2017 को घोषित )

01. अभियुक्तगण पर धारा :- 03/07 ई.सी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक : 23/09/2011 की रात्रि लगभग 10 बजे डाक बंगला तिराहा गोहद सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 में 55 बोरी डी.ए.पी. उर्वरक इफ्को ब्रान्ड की भरी हुई बोरी को बिना किसी वैध अनुज्ञा—पत्र एवं दस्तावेजों के अपने आधिपत्य में रखते हुए परिवहन किया एवं कराया ।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है ।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 23/09/2011 की रात्रि लगभग 10 बजे डाक बंगला तिराहा गोहद में वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 के चालक धर्मेन्द्र द्वारा 55 बोरी डी.ए.पी. उर्वरक इफ्को ब्रान्ड की भरी हुई बोरी को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति एवं दस्तावेजों के ले जाते हुए उर्वरक निरीक्षक मुन्नी सिंह तोमर द्वारा रोक जाने एवं चैक किये जाने पर, उर्वरक परिवहन के विधि सम्मत दस्तावेज आरोपी धर्मेन्द्र द्वारा प्रस्तुत न किये जाने पर, उक्त उर्वरक मुन्नी सिंह तोमर उर्वरक निरीक्षक द्वारा जब्त किये जाने की उक्त घटना की लिखित रिपोर्ट फरियादी उर्वरक निरीक्षक मुन्नी सिंह तोमर द्वारा दिनांक 24/09/2011 को दोपहर 11:20 बजे थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 199/11 अन्तर्गत धारा 03/07 ई.सी.एक्ट एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध

की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी धर्मेन्द्र बरेठा से 55 बोरी उर्वरक डी.ए.पी. इफ्को ब्रान्ड एवं वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 को विवेचक एन.सी.यादव द्वारा जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। जब्तशुदा वाहन के मालिक रफीक खॉन को प्रकरण में आरोपी के रूप में संयोजित कर दिनांक : 17/10/2011 को उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी मुन्नी सिंह तोमर, साक्षी श्याम कुमार, अशोक कुमार एवं सुभाष शर्मा के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 03/07 ई.सी.एक्ट के तहत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। प्रतिरक्षा साक्षी रामअवतार शर्मा प्रति.सा.01 की प्रतिरक्षा साक्ष्य अंकित की गई है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक : 23/09/2011 की रात्रि लगभग 10 बजे डाक बंगला तिराहा गोहद सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 में 55 बोरी डी.ए.पी. उर्वरक इफ्को ब्रान्ड की भरी हुई बोरी को बिना किसी वैध अनुज्ञा-पत्र एवं दस्तावेजों के अपने आधिपत्य में रखते हुए परिवहन किया एवं कराया?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी मुन्नी सिंह तोमर अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह वर्ष 1995 से 2011 तक गोहद में कृषि विभाग में एस.ए.डी.ओ. के पद पर पदस्थ रहा था। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 23/09/2011 को उसे अज्ञात व्यक्ति ने खबर दी कि मेटाडोर क्रमांक : एम.पी.07/जी.ए./1651 में उर्वरक डी.ए.पी. खाद इफ्को ब्रान्ड बैच नम्बर जुलाई 2011 की 55 बोरिया, जो करीबन ढाई टन अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने रात्रि लगभग दस बजे डाक बंगला तिराहे पर गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो उक्त गाड़ी में 55 बोरी डी.ए.पी. इफ्को खाद की मिली। साक्षी आगे कहता है कि जब उसने गाड़ी चालक

धर्मेन्द्र से खाद संबंधी कागज मांगे, तो उसने कागज दिखाने से मना कर दिया, फिर उसने उर्वरक परिवहन नियंत्रण 1985 "28" की शक्तियों का प्रयोग करते हुये धारा 1985 की धारा 35 का उल्लंघन होने पर ई.सी.एक्ट के तहत पकड़ा गया, उसके बाद उसने थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि थाना गोहद पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई थी। उसके द्वारा जो डी.ए.पी. इफ्को ब्रान्ड की 55 बोरी और गाड़ी क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक 23 तारीख को उसके साथ श्याम सिंह भदौरिया, सुभाष शर्मा एवं अशोक शर्मा भी डाक बंगला तिराहे पर खड़े थे, उसके द्वारा खाद का सैम्पल लिया गया था, जिसे उसने उप संचालक कृषि भिण्ड भेजा था। पुलिस ने उसका बयान लिया था। साक्षी आगे कहता है कि उसने पुलिस को बयान देते समय यह भी बताया था कि चालक धर्मेन्द्र ने यह भी बताया था कि गाड़ी मालिक रफीक खॉन द्वारा खाद को गाड़ी में भरवाकर ग्राम धमसा ले जाना बताया था।

08. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने आरोपी धर्मेन्द्र से 55 बोरी डीएपी खाद एवं वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने जब्तशुदा वाहन में से 55 बोरियों एक घण्टे में उतरवाकर गिनी थी। उल्लेखनीय है कि उक्त जब्ती पत्रक प्र.पी.03 प्रथमतः तो जिस प्रोफार्मा पर बनाया गया है, वह जब्ती पत्रक का प्रोफार्मा किसी डीलर से उर्वरक जब्त किये जाने के संबंध में है, ना कि किसी वाहक से। द्वितीयतः जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर किसी भी स्थान पर आरोपी धर्मेन्द्र के हस्ताक्षर नहीं हैं। जबकि मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने उक्त वाहन एवं खाद आरोपी धर्मेन्द्र से जब्त होना बताया है। मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया कि उसने उक्त जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर आरोपी धर्मेन्द्र के हस्ताक्षर क्यों नहीं कराये थे। जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर आरोपी के हस्ताक्षर ना होना इस वावत् गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि उक्त वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 एवं 55 बोरी डी.ए.पी.खाद आरोपी धर्मेन्द्र से जब्त हुआ था।

09. उर्वरक निरीक्षक मुन्नी सिंह ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसके द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र से वाहन एवं खाद की जब्ती की कार्यवाही किस दिनांक को एवं किस स्थान पर की गई थी। जब्ती पत्रक प्र.पी.03 में उक्त जब्ती की कार्यवाही करने का दिनांक : 24/09/2011 अंकित है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक : 23/09/2011 की रात्रि 10:00 बजे की है, लेकिन मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि जब उसके द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र को वाहन एवं खाद के

साथ दिनांक : 23/09/2011 को ही पकड़ लिया गया था, तब उसके द्वारा उक्त जब्ती पत्रक दिनांक : 24/09/2011 को क्यों बनाया गया, घटनास्थल पर दिनांक : 23/09/2011 को क्यों नहीं बनाया गया। मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर यह भी दर्शित नहीं किया है कि दिनांक : 23/09/2011 को उसके द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए/1651 एवं 55 बोरी डीएपी खाद को पकड़ लिये जाने तथा अगले दिन दिनांक : 24/09/2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 लेखबद्ध किये जाने तक आरोपी, उसका वाहन एवं उसमें भरा हुआ खाद कहाँ पर रहे। क्या उन्हें किसी प्रकार की अभिरक्षा में रखा गया, या उन्हें मौके से जाने दिया गया, या क्या किया गया, यह मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के दौरान कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने जब्तशुदा वाहन में से 55 बोरी डीएपी खाद एक घण्टे में उतरवाकर गिनी थी। मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने उक्त बोरियों कहाँ पर उतरवाकर गिनी थी, या उतरवाने के पश्चात् उन बोरियों का उसने क्या निराकरण किया, यह तथ्य मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के दौरान कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया है।

11. मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में, श्याम कुमार सिंह भदौरिया अ.सा.02 ने प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 02 में, अशोक कुमार अ.सा.03 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में एवं सुभाष शर्मा अ.सा.04 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह तथ्य दर्शित किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को नहीं पहचानते हैं। इस प्रकार आरोपित अपराध कारित करने वाले आरोपीगण के रूप में आरोपी धर्मेन्द्र एवं रफीक की पहचान के संबंध में साक्षी मुन्नी सिंह अ.सा.01, श्याम कुमार सिंह भदौरिया अ.सा.02, अशोक कुमार अ.सा.03 एवं सुभाष शर्मा अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं।

12. मुन्ने खॉ अ.सा.06 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 एवं 02 में यह दर्शित किया है कि वह दिनांक : 24/09/2011 को पुलिस थाना गोहद में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा उक्त दिनांक को मुन्नी सिंह तोमर उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा प्र.पी.01 का लेखी आवेदन देने पर अपराध क्रमांक 199/2011 अन्तर्गत धारा 03/07 ई.सी.एक्ट एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35 के तहत आरोपी धर्मेन्द्र पुत्र दुर्जन, निवासी :- बड़ा बाजार गोहद के विरुद्ध आवेदन अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में मुन्ने खॉ अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि लेखी आवेदन प्र.पी.01 उसे दिनांक : 24/09/2011 को दिन के पौने बारह बजे उर्वरक निरीक्षक द्वारा दिया गया था, उसके द्वारा प्र.पी.02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दोपहर 12:20 बजे लिखी गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के अनुसार घटनास्थल डाक बंगला तिराहा प्रथम सूचना रिपोर्ट

लेखबद्ध किये जाने वाले थाना गोहद से मात्र 01 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि जब स्वयं उसके अनुसार उसे उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत उर्वरक के अवैध परिवहन के संबंध में कार्यवाही करने के समस्त अधिकार प्राप्त थे, तब भी उसके द्वारा दिनांक : 23/09/2011 की रात्रि 10 बजे की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटनास्थल से मात्र एक किलोमीटर दूर स्थित थाना गोहद में लगभग घटना के 13 घण्टे पश्चात् विलम्ब से दिनांक : 24/09/2011 को क्यों की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में विलम्ब का कारण वरिष्ठ अधिकारियों के आ-जाने पर चर्चा करने के पश्चात् होना दर्शित किया गया, लेकिन मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसने किन वरिष्ठ अधिकारियों के आने पर उनसे चर्चा कर आरोपी धर्मेन्द्र के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 लेखबद्ध कराई थी। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्ब से किये जाने का प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में वर्णित कारण सद्भाविक एवं सत्य प्रतीत नहीं होता है और यह तथ्य अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

13. साक्षी श्याम कुमार अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/09/2011 को आर.ए.ई.ओ. के पद पर कृषि विभाग में पदस्थ रहा था। उस दिन उसे एस.ए.डी.ओ. मुन्नी सिंह तोमर ने रात को दस बजे गोलम्बर तिराहा गोहद में बुलाया था। उन्होंने उसे बताया कि खाद की गाड़ी आ रही है, उसे पकड़ना है। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद वह गोलम्बर पर आ गया, उसके साथ सुभाष शर्मा, अशोक शर्मा एवं मुन्नी सिंह तोमर भी थे। साक्षी आगे कहता है कि वहाँ पर एक बुलेरो गाड़ी आई जिसका नम्बर एम.पी.07/जी.ए./1651 था, जिसे रोककर गाड़ी एस.ए.डी.ओ. साहब द्वारा देखी गई, जिसमें 55 बोरी डी.ए.पी. खाद इफ्को ब्रान्ड की पाई गई। साक्षी आगे कहता है कि एस.ए.डी.ओ. साहब ने गाड़ी चालक धर्मेन्द्र से गाड़ी के कागजात मांगे, तो उसके पास कोई कागजात नहीं थे। साक्षी आगे कहता है कि एस.ए.डी.ओ. साहब ने गाड़ी जब्त कर, दूसरे दिन एफआईआर दर्ज कराई थी। साक्षी आगे कहता है कि चालक धर्मेन्द्र ने बताया था कि गाड़ी रफीक खॉन की है और खाद ले जाने के लिए उन्होंने ही बताया बताया था। एस.ए.डी.ओ. साहब ने खाद जब्त की थी, जब्ती पत्रक प्र.पी.03 है।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में श्याम कुमार भदौरिया अ.सा.02 तथा प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में सुभाष शर्मा अ.सा.04 का कहना है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 के कॉलम सुभाष शर्मा अ.सा.04 द्वारा भरे गये है। जबकि मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह बताया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 उसके द्वारा बनाया गया है। अशोक कुमार शर्मा अ.सा.03 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि प्र.पी.03 का प्रोफार्मा श्याम सिंह भदौरिया अ.सा.02 द्वारा भरा गया था, इस प्रकार उक्त जब्ती पत्रक प्र.पी.03 किसके द्वारा बनाया गया है, इस वावत् श्याम कुमार भदौरिया अ.सा.02, अशोक कुमार शर्मा अ.सा.03, सुभाष शर्मा अ.सा.

04 एवं मुन्नी सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में श्याम सिंह भदौरिया अ.सा.02 का कहना है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 का प्रोफार्मा उनके ऑफिस में रहता है, जिसे वह साथ में नहीं रखते हैं। साक्षी आगे कहता है कि प्र.पी.03 के उक्त प्रोफार्मा को लेने के लिए वह स्वयं गया था। साक्षी आगे कहता है कि उनके ऑफिस का समय 10:30 से 05:30 बजे तक रहता है और ऑफिस को बंद करने की जिम्मेदारी चपरासी की रहती है और ऑफिस की चाबी उसके वरिष्ठ के अधिकारी के कमरे पर रहती है। अशोक कुमार शर्मा अ.सा.03 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 का प्रोफार्मा मुन्नी सिंह तोमर अ.सा.01 के पास में ही था। जबकि सुभाष शर्मा अ.सा.04 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 का दस्तावेज वह अपने साथ नहीं रख सकते। इस प्रकार उक्त जब्ती पत्रक प्र.पी.03 का प्रोफार्मा घटना के समय मुन्नी सिंह अ.सा.01 के पास मौजूद था, अथवा श्याम सिंह अ.सा.02 उसे रात्रि में ही ऑफिस जाकर लेकर आया था, इस वावत् श्याम सिंह अ.सा.02, अशोक कुमार अ.सा.03 एवं सुभाष अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभाष है।

16. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में मुन्नी सिंह अ.सा.01 का कहना है कि उसके द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 एवं उसमें भरा हुआ 55 बोरी डीएपी खाद जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था। मुन्नी सिंह अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त जब्ती पंचनामा उसके द्वारा किस स्थान पर एवं किस दिनांक को बनाया गया था। श्याम सिंह अ.सा.02 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 की कार्यवाही दूसरे दिन सुबह थाने पर बैठकर की गई थी और वहीं पर मुन्नी सिंह अ.सा.01, सुभाष अ.सा.04 एवं उसने स्वयं ने जब्ती पत्रक प्र.पी.03 पर हस्ताक्षर किये थे। जबकि अशोक कुमार शर्मा अ.सा.03 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 की कार्यवाही थाने पर बैठकर की गई थी। इसी प्रकार सुभाष अ.सा.04 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 की कार्यवाही उसके द्वारा रात्रि 11:00 बजे की गई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में सुभाष अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 की कार्यवाही उन्होंने थाने पर बैठकर की थी, घटनास्थल पर नहीं। इस प्रकार जब्ती पत्रक प्र.पी.03 बनाये जाने की कार्यवाही किस स्थान पर, किस समय एवं किसके द्वारा की गई थी, इस वावत् मुन्नी सिंह अ.सा.01, श्याम सिंह अ.सा.02, अशोक अ.सा.03 एवं सुभाष अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है और उक्त विरोधाभाष आरोपी धर्मेन्द्र से घटना दिनांक 23/09/2011 को रात्रि 10:00 बजे गोलम्बर गोहद पर वाहन एवं खाद जब्ती के तथ्य को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है।

17. साक्षी सुभाष शर्मा अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/09/2011 को गोहद में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को रात्रि लगभग 10 बजे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री मुन्नी सिंह तोमर को सूचना मिली थी और उन्होंने कहा था कि डाक बंगला तिराहा गोहद पर आ जाओ। साक्षी आगे कहता है कि तब वह, मुन्नी सिंह तोमर, अशोक शर्मा एवं श्याम कुमार सिंह भदौरिया एक साथ डाक बंगला तिराहा पर पहुँचे, वहाँ पर एक वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 थी, जो लोडिंग गाड़ी थी, जिसे चैक किया तो उसमें इफ्को ब्रान्ड डी.ए.पी. खाद भरा हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि उक्त डी.ए.पी. की बोरिया गिनी थी, जो 55 बोरियों में 02 टन 07 क्विंटल, 50 किलो था। साक्षी आगे कहता है कि वाहन चालक से खाद के संबंध में कागजात मांगे, तो उसने कहा कि उसके पास कोई कागजात नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि चालक से उसका नाम एवं पता पूछा तो उसने अपना नाम धर्मेन्द्र निवासी बड़ा बाजार गोहद का होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि चालक से उक्त खाद किसका है, पूछे जाने पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया था। तत्पश्चात् वह लोग गाड़ी को लेकर थाने पर गये थे, जहाँ पर जब्ती की कार्यवाही की थी। साक्षी आगे कहता है कि वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्री मुन्नी सिंह तोमर द्वारा एफआईआर लेखबद्ध कराई गई थी। आरोपी ने उर्वरक नियंत्रण कानून 1985 का उल्लंघन किया था। जब्ती पंचनामा प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में सुभाष अ.सा.04 का यह कहना है कि जब दिनांक : 23/09/2011 को आरोपी धर्मेन्द्र द्वारा यह उत्तर नहीं दिया गया कि खाद किसका है, तब वह उसके वाहन को लेकर थाने गये थे और वहीं पर जब्ती की कार्यवाही की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में सुभाष अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि जब्ती की कार्यवाही उसके द्वारा रात्रि 11:00 बजे थाने पर बैठकर की गई थी। परन्तु जब्ती पत्रक प्र.पी.03 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.03 दिनांक 23/09/2011 को निर्मित नहीं किया गया है, बल्कि 24/09/2011 को निर्मित किया है। इस प्रकार इस वावत् सुभाष अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों तथा जब्ती पत्रक प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। सुभाष अ.सा.04 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि लेखी आवेदन प्र.पी.01 की कार्यवाही उसके सामने रात्रि 12:00 बजे थाने पर बैठकर हुई थी। इसी प्रकार यदि सुभाष अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों को तर्क के लिए सत्य मान लिया जाये कि वह घटना दिनांक : 23/09/2011 की रात्रि 11:00 बजे ही आरोपी, जब्तशुदा वाहन एवं खाद की बोरियों को लेकर थाने पहुँच गये थे और रात्रि 12 बजे लेखी आवेदन प्र.पी.01 की कार्यवाही कर दी गई थी। तब आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24/09/2011 को घटना के लगभग 12 घण्टे बाद लेखबद्ध क्यों की गई, इस वावत् अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है और यह तथ्य अभियोजन कथा की सत्यता को अत्यंत संदेहास्पद बना देता है।

19. अभियोजन साक्षी एन.सी.यादव अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 24/09/2011 को पुलिस थाना गोहद में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके उसे अपराध क्रमांक : 199/2011 अन्तर्गत धारा 03/07 ई.सी.एक्ट एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 35 की विवेचना प्राप्त हुई थी। उसने उक्त दिनांक को धर्मेन्द्र बरेठा से एक वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 बुलेरो लोडिंग जब्त किया था, जिसमें 55 बोरी डी.ए. पी. खाद की अवैध रूप से भरी हुई पाई गई थी। उक्त बोरियों का धर्मेन्द्र के पास कोई वैध कागज नहीं पाये गये थे। उसके द्वारा साक्षी मनीराम एवं प्रधान आरक्षक मुन्ने खां के समक्ष जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को ही फरियादी मुन्नी सिंह तोमर की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.04 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उसी दिनांक को आरोपी धर्मेन्द्र को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा दिनांक : 17/10/2011 को आरोपी रफीक खॉ को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक : 24/09/2011 को तथा दिनांक : 12/11/2011 को श्याम सिंह, अशोक कुमार, सुभाष शर्मा के बताएं अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे, कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था।

20. उल्लेखनीय है कि जब आरोपी धर्मेन्द्र से वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 एवं 55 बोरी डीएपी खाद पूर्व में ही मुन्नी सिंह अ.सा.01 द्वारा जब्त कर लिया गया था और उक्त वाहन एवं खाद जब उक्त जब्ती के कारण आरोपी धर्मेन्द्र के आधिपत्य में ही नहीं रहा था, तब साक्षी एन.सी.यादव अ.सा.05 द्वारा पुनः उक्त खाद एवं वाहन आरोपी धर्मेन्द्र से किस प्रकार जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.05 बनाया गया, यह उसके साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होता है। जब्ती पत्रक प्र.पी.05 पर कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि उक्त जब्ती पत्रक औपचारिक रूप से निर्मित किया गया है, या उक्त जब्ती पत्रक प्र.पी.05 के माध्यम से जब्तशुदा वाहन एवं खाद मुन्नी सिंह अ.सा.01 से जब्त किया गया है। ऐसी दशा में उक्त जब्ती पत्रक प्र.पी.05 की कार्यवाही वैध रूप से की गई होना दर्शित नहीं होती है।

21. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक : 23/09/2011 की रात्रि लगभग 10 बजे डाक बंगला तिराहा गोहद सार्वजनिक स्थान पर वाहन क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 में 55 बोरी डी.ए.पी. उर्वरक इफ्को ब्रान्ड की भरी हुई बोरी को बिना किसी वैध अनुज्ञा-पत्र एवं दस्तावेजों के अपने आधिपत्य में रखते हुए परिवहन किया एवं कराया।



### अंतिम निष्कर्ष

22. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी धर्मेन्द्र बरेठा एवं रफीक खॉ के विरुद्ध धारा 03/07 ई.सी.एक्ट के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण धर्मेन्द्र बरेठा एवं रफीक खॉ को धारा 03/07 ई.सी. एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

23. आरोपीगण के प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये गये। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

24. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बुलेरो मैक्स क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./1651 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी रफीक खॉन के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 55 बोरी डी.ए.पी. खाद अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद